जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 22.05.2024

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाईकिल व 01 स्कूटी बरामदः-

आज दिनांक 22.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 02 वाहन चोरो को चोरी की 03 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर थाना कांधला क्षेत्र व मोटर साईकिल होण्डा साईन, मोटर साईकिल सुपर स्पलेण्डर तथा स्कूटी थाना कोतवाली शामली क्षेत्र से चोरी की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बिलाल पुत्र अखलाक निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

2.नावेद पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला खैल कलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर चैसिस नं0 MBLHAR082HHL11808 (थाना कांधला से सम्बन्धित)

2.चोरी की मोटर साईकिल सुपर स्पलेण्डर चैसिस नं0 MBLJAW094K9L00545 (थाना कोतवाली शामली से सम्बन्धित)

3.चोरी की मोटर साईकिल होण्डा साईन चैसिस नं0 ME4JC651GF7155836 (थाना कोतवाली शामली से सम्बन्धित)

4.चोरी की होण्डा एक्टिवा स्कूटी चैसिस नं0 ME4JF082H68336571 (थाना कोतवाली शामली से सम्बन्धित)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बिलाल,नावेद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 156/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 158/2024 धारा 411/414/420/468 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 271/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 280/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैड़ी में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलकटी।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.05.2024 को श्री रामपाल पुत्र मंगलू सिंह निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली व उसके परिवारिजन के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट व धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। घटना के सम्बन्ध में श्री रामपाल द्वारा थाना बाबरी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 22.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैड़ी में जानलेवा हमला करने के मामले में 0 वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त बलकटी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-काला उर्फ ऋषिपाल पुत्र रामभूल निवासी ग्राम कैड़ी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त बलकटी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में एक ही परिवार के 04 सदस्यों की जघन्य हत्या किये जाने के मामले में 01 हत्याभियुक्त को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, शामली द्वारा सुनाई मृत्यु दण्ड की सजा एवं 2,20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो दिनांक 30/31.12.2019 की रात्रि में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला पंजाबी कालोनी में भजन गायक अजय पाठक व उनकी पत्नी स्नेह पाठक व उनकी पुत्री वसुन्धरा पाठक उम्र करीब 16 वर्ष व पुत्र भागवत पाठक उम्र करीब 11 वर्ष की अभियुक्त हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी तथा अभियुक्त द्वारा मृतक भागवत पाठक के शव को मृतक अजय पाठक की गाड़ी में ले जाकर पानीपत टोल प्लाजा के पास गाड़ी खड़ी कर आग लगा दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक अजय पाठक के भाई श्री हरिओम पाठक पुत्र स्व0 हंसराज पाठक निवासी मौहल्ला पंजाबी कालोनी थाना आदर्श मंड़ी जनपद शामली द्वारा अभियुक्त हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्श मंड़ी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर आलाकत्ल अवैध हथियार की बरामदगी करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित रुप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैराना, शामली द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त को **धारा 302 भादवि में मृत्यु दण्ड व 1,00,000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा** व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास व 404 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1.5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व धारा 435 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व धारा 394 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावस व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का सश्रम कारावास व धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1.5 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.हिमांशु पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम झाड़खेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त से रिकवरी वारंट की धनराशि वसूली गयी।</u>

ज्ञात हो माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय जनपद शामली द्वारा अभियुक्त राधेश्याम पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम ईस्सोपुर टील थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी करते हुये 60,000/- रुपये वसूल करने हेतु आदेशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 22.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन करते हुये थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा अभियुक्त राधेश्याम पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम ईस्सोपुर टील थाना कांधला जनपद शामली से रिकवरी वारंट की धनराशि कुल 60,000/- रुपये वसूल किये गये है। वसूली गयी धनराशि को नियमानुसार माननीय न्यायालय में जमा कराय जा रहा है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI